भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2945

08 अगस्त, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

दलितों और आदिवासी समुदायों की आवास आवश्यकताएं

2945. एडवोकेट चन्द्र शेखरः

क्या ***आवासन और शहरी कार्य*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में दलित और आदिवासी समुदायों की आवास संबंधी आवश्यकताओं को मलिन बस्तियों के पुनर्वास और किफायती आवास योजनाओं सहित पूरा करने के लिए उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समावेशन और कल्याण को प्राथमिकता देने वाली शहरी विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) और (ख): 'भूमि' और 'कॉलोनीकरण' राज्य के विषय हैं। इसलिए, किफायती आवास से संबंधित योजनाओं को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। हालांकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) देश भर के शहरी क्षेत्रों में पक्के आवास उपलब्ध कराने के लिए 25 जून, 2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता करता है। इस योजना को चार घटकों अर्थात लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), ''स्व-स्थाने'' स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर) और ऋण संबद्ध सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।

पीएमएवाई-यू के अंतर्गत हाथ से मैला ढोने वालों, महिलाओं (विधवाओं, अकेली रह रही महिलाओं को विशेष वरीयता के साथ), अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों, दिव्यांग व्यक्तियों और ट्रांसजेंडरों को वरीयता दी जाती है।

पीएमएवाई-यू के तहत राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, 29.07.2024 तक की स्थिति के अनुसार शहरी क्षेत्रों में मंत्रालय द्वारा कुल 118.64 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 114.40 लाख आवास निर्माणाधीन हैं और 85.43 लाख आवास पूरे हो चुके हैं/ लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। मंत्रालय द्वारा स्वीकृत 118.64 लाख आवासों में से कुल 23.22 लाख आवास एससी/एसटी समुदायों के लाभार्थियों के लिए स्वीकृत किए गए हैं।

*****